

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.



मु.नं० - 10/2023  
दिनांक :-

1. भूपसिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
2. रामकुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. बिमला पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी वाम्बलवासा तहसील भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी वाम्बलवासा तहसील भादरा।
3. श्रवण पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी वाम्बलवासा त0 भादरा।
4. चन्द्रकला पत्नी मामचन्द्र जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
5. विद्यादेवी पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
6. भैराराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
7. मालाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी  
श्री सुरेन्द्र मील प्रतिवादी


निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 74/67 के मु०न० 73 के किला न० 16, 17/1, 17/2, 24, 25/1, 25/2, मु०न० 74 के किला न० 17 ता 24 मु०न० 80 के किला न० 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14 मु०न० 81 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 की कुल 7.653 है० नहरी मय खाला रास्ता रिकार्ड में मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि में वादीगण का 120 हिस्सा प्रतिवादीया बिमला पत्नी सुभाषचन्द्र श्रवण पिसरान प्रतापसिंह व स्व० किताबो पत्नी स्व० प्रतापसिंह का संयुक्त रूप से 60 हिस्सा प्रतिवादीया चन्द्रकला पत्नी मामचन्द्र का 189-1/2 हिस्सा प्रतिवादी विद्यादेवी का 113-7/16 हिस्सा प्रतिवादी भैराराम का 56-3/4 हिस्सा प्रतिवादी मालाराम का 65-3/4 हिस्सा खातेदारी है। किताबो पत्नी प्रतापसिंह की मृत्यु हो चुकी है।

परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्साकस्सी गलत दर्ज हो गई है जिसमें वादी भूपसिंह के नाम 253/3310 हिस्सा वादी रामकुमार के नाम 253/3310 हिस्सा किताबो पत्नी प्रतापसिंह के नाम 253/1986 हिस्सा प्रतिवादी चन्द्रकला के नाम 797/3310 हिस्सा प्रतिवादी बिमला के नाम 253/1986 हिस्सा प्रतिवादी भैराराम के नाम से 359/4965 हिस्सा प्रतिवादी मालाराम के नाम से 416/4965 हिस्सा प्रतिवादी श्रवण के नाम से 253/9930 हिस्सा प्रतिवादी सुभाषचन्द्र के नाम 253/9930 हिस्सा अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादीगण की 120 हिस्सा अनुसार खातेदारी नहीं है। अतः वादीगण के हकों पर प्रतिकुल प्रभाव होने के कारण वादीगण अपने हिस्सा को दुरुस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पत्र जारी किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 7 ने दावा संख्याओं को स्वीकार करते हुए जबाब पेश किया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद में वादीगण का 120 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में था लेकिन जमाबंदी ऑनलाईन के समय वादीगण का हिस्सा परिवर्तित हो गया। वादीगण अपने हिस्सा को दुरुस्त करवाना चाहते हैं। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के हिस्सा में संशोधन के लिए वादीगण व प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की है। इसलिए वादीगण का हिस्सा दुरुस्त किये जाने के लिए निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

साक्ष्यवादी में वादी भूपसिंह द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वर्तमान जमाबंदी व पुरानी वाद भूमि प्रदर्श 1-2 नागान्तरण प्रदर्श 3-4 तथा तहसीलदार रिपोर्ट 5 प्रदर्शित करवाये।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 74/67 के मु०न० 73 के किला न० 16, 17/1, 17/2, 24, 25/1, 25/2, मु०न० 74 के किला न० 17 ता 24 मु०न० 80 के किला न० 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14 मु०न० 81 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 की कुल 7.653है० नहरी मय खाला रास्ता रिकार्ड में मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है में अपने हक हिस्सा की दुरुस्ती चाही है। उक्त वाद भूमि से संबंधित जमाबंदी प्रदर्श 2 व नामान्तरण प्रदर्श 3 में वादीगण का हिस्सा सही व प्रतिवादीगण सं० 7 का हिस्सा में अन्तर दर्ज है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्सा दुरुस्त करने हेतु निवेदन किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 74/67 के मु०न० 73 के किला न० 16, 17/1, 17/2, 24, 25/1, 25/2, मु०न० 74 के किला न० 17 ता 24 मु०न० 80 के किला न० 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14 मु०न० 81 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 की कुल 7.653है० नहरी मय खाला रास्ता रिकार्ड में मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है में वादीगण को 120 हिस्सा प्रतिवादीया बिमला पत्नी सुभाषचन्द्र श्रवण पिसरान प्रतापसिंह व स्व० किताबो पत्नी स्व० प्रतापसिंह का संयुक्त रूप से 60 हिस्सा प्रतिवादीया चन्द्रकला पत्नी मामचन्द का 189-1/2 हिस्सा प्रतिवादी विधादेवी का 113-7/16 हिस्सा प्रतिवादी भैराराम का 56-3/4 हिस्सा प्रतिवादी मालाराम का 65-3/4 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन को संबंधित पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरित करते हुए उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित लिपि)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मु0न0 - 10/2023

अनवान :-

1. भूपसिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
2. रामकुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. बिमला पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी वाग्बलवारा तहसील भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी वाग्बलवारा तहसील भादरा।
3. श्रवण पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी वाग्बलवारा त0 भादरा।
4. चन्द्रकला पत्नी मामचन्द जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
5. विद्यादेवी पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
6. भैराराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
7. मालाराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी साहुवाला त0 भादरा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं0 74/67 के मु0न0 73 के किला न0 16, 17/1, 17/2, 24, 25/1, 25/2, मु0न0 74 के किला न0 17 ता 24 मु0न0 80 के किला न0 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14 मु0न0 81 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2 की कुल 7.653है0 नहरी मय खाला रास्ता रिकार्ड में मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है में वादीगण को 120 हिस्सा प्रतिवादीया बिमला पत्नी सुभाषचन्द्र श्रवण पिसरान प्रतापसिंह व स्व0 किताबो पत्नी स्व0 प्रतापसिंह का संयुक्त रूप से 60 हिस्सा प्रतिवादीया चन्द्रकला पत्नी मामचन्द का 189-1/2 हिस्सा प्रतिवादी विधादेवी का 113-7/16 हिस्सा प्रतिवादी भैराराम का 56-3/4 हिस्सा प्रतिवादी मालाराम का 65-3/4 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। जमाबंदी में दर्ज वाद भूमि यथा गै0मु0 खाला-रास्ता आदि को यथावत् पढ़ा जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन को संबंधित पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरित करते हुए उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की जायेगी।



(कल्पित शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S.  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़